27-5-2016

राजस्व लोक अदालत द्वारा आपके द्वारा के तहत उभय पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल रेंचा रेडि पुष्प खातोली पर पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित होने से मूल वाद निस्तारित हो जाने से इस प्रार्थना के चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नस्ती के कर दी जावे। अभिलेख मूल वाद है।

हरीराम

मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner